भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 957

(जिसका उत्तर मंगलवार, 2 दिसम्बर, 2014 को दिया गया)

कारपोरेट धोखेबाजी की जांच

957. श्री नरेश गुजराल :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कारपोरेट धोखेबाजी की जांच करने हेतु एक अलग एजेंसी का गठन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एस.एफ.आई.ओ.) एवं अन्य जांच एजेंसियों द्वारा जांच की गई तथा पता लगाई गई कारपोरेट धोखेबाजी की संगठन-वार संख्या क्या है;

(घ) तत्संबंधी जांच के परिणामस्वरूप सिद्ध किए गए आरोपों की संख्या क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा कारपोरेट धोखेबाजी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) और (ख) : कारपोरेट धोखधड़ियों की जांच के लिए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) नामक एक अलग एजेंसी पहले से ही है। इसकी स्थापना गंभीर और जटिल प्रकृति की कारपोरेट धोखाधड़ियों की जांच के लिए दिनांक 02.07.2003 के एक संकल्प के माध्यम से की गई थी।

(ग) और (घ) : गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जांची गई कंपनियों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	कंपनियों की संख्या
2011-12	20
2012-13	22
2013-14	22
2014-15 (15.11.2014 तक)	17

उपयुक्त अदालतों में अभियोजनों के मामले चल रहे हैं।

(ङ.) : सरकार ने कारपोरेट धोखाधड़ियों पर नियंत्रण एवं रोकथाम करने के लिए कई उपाय किए हैं जिसमें शामिल हैं:-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 में 'धोखाधड़ी' को गंभीर अपराध बनाया गया है।

(ii) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को इस अधिनियम में सांविधिक दर्जा दिया गया है।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 में कारपोरेट शासन और उनके कार्यान्वयन के अधिक कठोर मानक रखे गए हैं।

(iv) आंकड़ा विश्लेषण, निगरानी और फॉरेंसिक उपकरणों के उपयोग आदि द्वारा धोखाधड़ियों की पूर्व पहचान के लिए प्रौद्योगिकी का और अधिक प्रयोग।

*****